



2026:AHC: 60389

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 1933 वर्ष 2026

अजीत कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: जीतेंद्र केशरवानी, सिद्धार्थ निरंजन

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से, थाना रामगढ़ताल, जिला गोरखपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 623 वर्ष 2025, बी.एन.एस. 2023 की धारा 105, 115(2), 190, 191(2), 191(3) के अंतर्गत उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

2- इस न्यायालय ने 25.02.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

1- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ निरंजन और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से, थाना रामगढ़ताल, जिला गोरखपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 623 वर्ष 2025, बी.एन.एस. 2023 की धारा 105, 115(2), 190, 191(2), 191(3) के अंतर्गत उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3- विद्वान ए.जी.ए. बताते हैं कि उन्हें इस मामले में निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता दावा करते हैं कि मामला अत्यावश्यक है और उन्हें अंतरिम राहत देने पर सुना जाए। वह तर्क देते हैं कि आवेदक एफ.आई.आर. में नामजद नहीं था। बाद में सूचनाकर्ता के बयान में, आवेदक सहित 11 व्यक्तियों को नामित किया गया है। वह आगे तर्क देते हैं कि घटना का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें सह-अभियुक्त पंकज, विंध्याचल और साहिल को मृतक पर हमला करते हुए दिखाया गया है और उक्त सीसीटीवी फुटेज में आवेदक को नहीं दिखाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

5- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों के दृष्टिगत, अंतरिम राहत प्रदान करने का मामला बनता है।

6- इसे 24.03.2026 को नवीन के रूप में सूचीबद्ध करें। इस बीच, विद्वान ए.जी.ए. निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।

7- सूचीबद्ध होने की अगली तिथि तक, पूर्वोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक-अजीत कुमार की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थाने के थाना-प्रभारी / न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे/उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(v) आवेदक अभियोजन के साक्षीगण पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें न ही डराएगा-धमकाएगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8- किसी भी शर्त की चूक के स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उपयुक्त आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

3- आज जब वाद प्रस्तुत किया गया, तो विद्वान ए.जी.ए. ने कहा कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए हैं।

4- मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ निरंजन और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री सुरेंद्र सिंह को सुना है।

5- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष किए गए प्रस्तुतीकरणों को दोहराया है, जैसा कि दिनांक 25.02.2026 के आदेश में दर्ज है।

6- विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, हालाँकि, वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का खंडन नहीं कर सके कि घटना के सीसीटीवी फुटेज में आवेदक नहीं दिख रहा है। वे आवेदक के किसी आपराधिक पूर्ववृत्त को इंगित करने में भी सक्षम नहीं रहे हैं।

7- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार किया है।

8- आवेदक एफ.आई.आर. में नामजद नहीं है। घटना के एक दिन बाद सूचनाकर्ता के बयान में उसका नाम सामने आया है, जिसमें आवेदक सहित ग्यारह लोगों को नामित किया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज आवेदक को हमलावरों में से एक के रूप में नहीं दिखाता है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है और जमानत के किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन का कोई अभिकथन नहीं है।

9- वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मैं दिनांक 25.02.2026 के अंतरिम आदेश की पुष्टि की जाती है और पूर्वोक्त मुकदमा अपराध में आवेदक- **अजीत कुमार** को विचारण के निष्कर्ष तक दिनांक 25.02.2026 के आदेश में उल्लिखित समान नियमों और शर्तों पर अग्रिम जमानत देना उचित समझता हूँ।

10- आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

24 मार्च, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ए. पांडेय

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।